



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18072026-274595
CG-DL-W-18072026-274595

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18—जुलाई 24, 2026 (आषाढ़ 27, 1948)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18—JULY 24, 2026 (ASADHA 27, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	353	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	721	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	873	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2453
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	5649
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	721	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	873	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2453
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5649
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2026

सं. 8-135/2020-पीपी II—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना संख्या 8-97/91-पीपी-I में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सामान्य सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संगत शीर्षों के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़कर करके शामिल की जाएंगी जिनमें उन अधिकारियों को पदनाम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो अन्य देशों जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र अपेक्षित हैं, को निर्यात के लिए वनस्पति और वनस्पति सामग्री के निरीक्षण, प्रधूमन या विसंक्रमित करने और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं:—

ब. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/आईसीएआर संस्थान:

क्रम संख्या 34 (i), (ii) और (iv) के विपरीत, कॉलम संख्या 3 में मौजूदा प्रविष्टि को निम्नलिखित पी. एस. सी. जारी करने वाले कोड के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

क्रम संख्या	पी. एस. सी. जारी करने का कोड	मौजूदा प्रविष्टि	के साथ प्रतिस्थापित किया जाना
i.	{कोड संख्या 'एस' (डब्ल्यू. बी.) 1}	कीटविज्ञानी, पश्चिम बंगाल सरकार, फील्ड क्रॉप रिसर्च स्टेशन, कलना रोड, बर्दवान-71310	राज्य कीटविज्ञानी, पश्चिम बंगाल, फील्ड क्रॉप रिसर्च स्टेशन, कलना रोड, पूर्व बर्दवान-713101
ii.	{कोड संख्या 'एस' (डब्ल्यू. बी.) 2}	माइकोलॉजिस्ट, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, 230, नेताजी सुभाष रीजेंट पार्क, कोलकाता-40 (पश्चिम बंगाल)।	राज्य माइकोलॉजिस्ट, पश्चिम बंगाल, राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, 230ए, एनएससी बोस रोड, कोलकाता-40
iv.	{कोड संख्या 'एस' (डब्ल्यू. बी.) 4}	जिला कृषि अधिकारी, पश्चिम बंगाल सरकार, जिला नादिया, (डब्ल्यू. बी.)	उप निदेशक कृषि (प्रशासन), नादिया

मुक्तानन्द अग्रवाल
संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 25.11.97 की अधिसूचना सं.-8-97/91-पीपी-I, दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना सं.-8-70/98-पीपी-I, दिनांक 06.11.2001 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 30.05.2002 की अधिसूचना सं.-8-86/2000-पीपी-I, दिनांक 07.06.2004 की अधिसूचना सं.-8-33/2003-पीपी-I, दिनांक 11.05.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 20.06.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 08.12.2005 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 09.01.2006 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 26.12.2011 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 30.01.2013 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 06.07.2015 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 21.06.2016 की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट), दिनांक 12.01.2017

की अधिसूचना सं.-8-217/2004-पीपी-I (पार्ट) और दिनांक 13.04.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 11.08.2017 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और 14 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.04.2018 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 10.5.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 16.7.2019 की अधिसूचना सं.-8-65/2017-पीपी-II, 10.12.2019 की अधिसूचना संख्या 8-65/2017-पीपी-II और दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 8-65/2017-पीपी-II, दिनांक 13.8.2020 की अधिसूचना संख्या 8-135/2020-पीपी-II, दिनांक 3.2.2021 की अधिसूचना संख्या 8-135/2020-पीपी-II, दिनांक 28.07.2023 की अधिसूचना संख्या 8-135/2020-पीपी-II, और दिनांक 13.09.2023 की अधिसूचना संख्या 8-135/2020-पीपी-II द्वारा संशोधित की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2026

सं. 3-1/2026-संस्कृत-I—भारत सरकार ने वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा को परिरक्षित, संरक्षित और विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में उज्जैन में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नामक एक सोसायटी का गठन किया था, जिसके लिए प्रतिष्ठान पारंपरिक वैदिक संस्थानों और विद्वानों की सहायता करने, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। इसे वर्ष 1987 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) संख्या 17451 के तहत पंजीकृत किया गया है। मई 1993 में प्रतिष्ठान का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन कर दिया गया।

इस मंत्रालय के दिनांक 06.04.2021 की अधिसूचना संख्या एफ.3-1/2015-एसकेटी-I का अधिक्रमण करते हुए एतद् द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के एमओए के नियम 4 के संदर्भ में महासभा का तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया जाता है। महासभा का संघटन निम्न प्रकार है:—

- | | | | | |
|----|---------|---|---|---|
| 1. | 4 (i) | अध्यक्ष | - | शिक्षा मंत्री |
| 2. | 4 (ii) | उपाध्यक्ष | - | एमएसआरवीपी के उपाध्यक्ष |
| 3. | 4(iv) | पारंपरिक वैदिक शिक्षा से संबद्ध संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य | - | i. पंडित के. वेंकटरमण घनपति, कृष्ण यजुर्वेद घनपति और ट्रस्टी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
ii. पंडित वैकुण्ठनाथ शर्मा, एमएसआरवीपी वेद पाठशाला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
iii. पंडित उदय तमैया वैद्य, ऋग्वेद घनपति, श्री राजराजेश्वरी वेद पाठशाला, स्वर्णवल्ली मठ, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक
iv. पंडित कुप्पा शिव सुब्रह्मण्य अवधानी घनपति, कृष्ण यजुर्वेद घनपति और प्राचार्य, धर्मगिरी वेद, पाठशाला, टीटीडी, तिरुमाला, आंध्र प्रदेश
v. डॉ. महाबलेश्वर भट, प्राचार्य, वेद विज्ञान गुरुकुलम जनसेवा ट्रस्ट, बंगलुरु, कर्नाटक |
| | 4 (v) | चार प्रख्यात वैदिक विद्वान | - | i. प्रो. राममूर्ति चतुर्वेदी, पूर्व प्रोफेसर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
ii. प्रो. गोपाल प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर, वेद मध्यादिना शाखा पारंपरिक घनपति, एसएलबीएसएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
iii. प्रो. एस. वेणुगोपालन, प्रोफेसर संस्कृत और पारंपरिक वेदपति, शास्त्र विश्वविद्यालय, तंजौर, तमिलनाडु
iv. डॉ. दिवाकर महापात्रा, पूर्व प्रोफेसर वेद, एसजेएसवी, पुरी और कण्व शाखा पारंपरिक वेद पाथी, पुरी, ओडिशा |
| 5. | 4 (vii) | भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि | - | i. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
ii. संयुक्त सचिव (एल), शिक्षा मंत्रालय
iii. संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय |
| 6. | 4(viii) | अध्यक्ष टी. टी. देवस्थानम तिरुपति, या उनके नामित व्यक्ति; | | |
| 7. | 4 (ix) | शंकर अकादमी ऑफ संस्कृत, संस्कृति और शास्त्रीय कला, नई दिल्ली के अध्यक्ष, या उनके नामित; | | |
| 8. | 4 (x) | चतुर्धाम वेद भवन न्यास, कानपुर के अध्यक्ष, या उनके नामित; | | |
| 9. | 4 (xi) | कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), दिल्ली; | | |

10. 4 (xii) निदेशक, वैदिक संशोधन मंडल, पुणे;
11. 4(xiii) सचिव, इंदिरा कला प्रतिष्ठान/आईजीएनसीए, या उनके नामित;
12. 4(xiv) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के एक-एक प्रतिनिधि;
13. 4 (xv) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय; संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय;
जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके नामित व्यक्ति;
14. 4(xvi) निदेशक, वी. आर.आर. आई. होशियारपुर, या उनके नामित व्यक्ति;
15. 4(xvii) संस्कृति विभाग, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि;
16. 4(xviii) सचिव, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान
17. 4(xix) एसोसिएट सदस्य।

गोविंद जायसवाल
संयुक्त सचिव

सं. 3-1/2026-संस्कृत-I—महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के एमओए के नियम 11 के अनुसार शासी परिषद का एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया जाता है। शासी परिषद का संघटन निम्न प्रकार है:—

1. 11 (i) अध्यक्ष - शिक्षा मंत्री
2. 11 (ii) उपाध्यक्ष - एमएसआरवीवीपी के उपाध्यक्ष
3. 11(iii) सचिव - एमएसआरवीवीपी के सचिव
4. 11(v) भारत सरकार, शिक्षा विभाग के दो प्रतिनिधि - i. संयुक्त सचिव (एल), शिक्षा मंत्रालय
ii. संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय
5. 11(vi) महासभा द्वारा नामित दो सदस्य - i. पंडित के. वेंकटरमन घनपति, ट्रस्टी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
ii. डॉ. महाबलेश्वर भट, प्राचार्य, वेद विज्ञान गुरुकुलम जनसेवा ट्रस्ट, बंगलुरु, कर्नाटक
6. 11(vii) कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), दिल्ली

गोविंद जायसवाल
संयुक्त सचिव

सं. 3-1/2026-संस्कृत-I—महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के एमओए के नियम 15 (iii) के अनुसार वित्त समिति का एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया जाता है। वित्त समिति का संघटन निम्नानुसार है:—

1. 15(iii) (ए) अध्यक्ष - प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष
2. 15(iii) (बी) शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - संयुक्त सचिव (भाषा)
3. 15(iii)(सी) वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, भारत सरकार - सदस्य
4. 15(iii) (डी) शासी परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामित दो सदस्य - i. पंडित वेंकटरमन घनपति, ट्रस्टी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
ii. डॉ. महाबलेश्वर भट, प्राचार्य, वेद विज्ञान गुरुकुलम जनसेवा ट्रस्ट, बंगलुरु, कर्नाटक
5. 15(iii)(एफ) प्रतिष्ठान का सचिव - सदस्य सचिव

गोविंद जायसवाल
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2026

सं. 10-4/2026-यू.3(ए)—जबकि, मल्ला रेड्डी (एमआर), सम विश्वविद्यालय, तेलंगाना ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार कृष्णापुरम गांव, रेनिगुंटा मंडल, तिरुपति में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 12.05.2026 के पत्र संख्या 41-5/2026 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की स्थायी समिति के माध्यम से जांच की गई थी। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए मल्ला रेड्डी (एमआर), तेलंगाना को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, मल्ला रेड्डी (एमआर), सम विश्वविद्यालय, तेलंगाना को कृष्णापुरम गांव, रेनिगुंटा मंडल, तिरुपति में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.06.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अलावा जबकि, पंजीयक, मल्ला रेड्डी (एमआर), तेलंगाना ने दिनांक 02.06.2026 को एलओआई में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह हेतु यूजीसी को भेजा गया था। इसके अलावा, यूजीसी ने दिनांक 03.07.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

5. अब इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर एतद्वारा मल्ला रेड्डी (एमआर), सम विश्वविद्यालय संस्थान, तेलंगाना को संख्या 6, कृष्णापुरम गांव, रेनिगुंटा मंडल, तिरुपति में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

6. मल्ला रेड्डी (एमआर), सम विश्वविद्यालय, तेलंगाना द्वारा इस मंत्रालय की पूर्ववर्ती अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 14th July 2026

No. 8-135/2020-PP.II—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, as amended from time to time, it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries, which require such certificates:—

B. STATES/ UTs/ ICAR Institutes:

Against Serial Number 34 (i), (ii) and (iv), the existing entry in Column Number 3 to be substituted with the following PSC issuing code:

Sl. No.	PSC issuing Code	Existing Entry	To be substituted with
i.	{Code No. 'S' (WB) 1}	Entomologist, Govt. of West Bengal, Field Crop Research Station, Kalna Road, Burdwan - 71310	State Entomologist, West Bengal, Field Crop Research Station, Kalna Road, Purba Burdwan - 713101
ii.	{Code No. 'S' (WB) 2}	Mycologist, Govt. of West Bengal, State Agricultural Research Institute, 230, Netaji Subhash Regent Park, Kolkata-40(WB).	State Mycologist, West Bengal, State Agricultural Research Institute, 230A, NSC Bose Road, Kolkata-40
iv.	{Code No. 'S' (WB) 4}	District Agriculture Officer, Govt. of West Bengal, District Nadia, (W.B.)	Deputy Director of Agriculture (Administration), Nadia

MUKTANAND AGRAWAL

Joint Secretary

Note: The original notification was issued by Department of Agriculture & Cooperation vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and subsequently modified vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 25.11.97, notification no. 8-70/98-PP.I dated 30.09.1999, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.11.2001, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.05.2002, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 30.05.2002, notification no. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 11.05.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.06.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 8.12.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 9.1.06, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 26th December, 2011, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 30th January, 2013, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 6th July, 2015, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 21st June, 2016, notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 12th January, 2017 and notification no. 8-65/2017-PP.II dated 13th April, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 11th August, 2017 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 14th March, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th April, 2018, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th May, 2019 and notification No. 8-65/2017-PP.II dated 16th July, 2019, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 10th December, 2019, notification No. 8-65/2017-PP.II dated 21st February July, 2020, notification no. 8-135/2020-PP.II dated 13.08.2020, notification no. 8-135/2020-PP.II dated 3.02.2021, notification no. 8-135/2020-PP.II dated 28.07.2023 and notification no. 8-135/2020-PP.II dated 13.09.2023.

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th July 2026

No. 3-1/2026-Skt.I—The Government of India constituted a Society in 1987 namely Rashtriya Veda Vidya Pratisthan at Ujjain with the objective to preserve, conserve and develop the oral tradition of Vedic studies for which the Pratisthan will undertake various activities such as support traditional vedic institutions and scholars, provide fellowships, scholarships etc. It has been registered under Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) No. 17451 in 1987. The name of the Pratisthan was changed to Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratisthan, Ujjain in May, 1993.

In supersession to this Ministry's notification No.F.3-1/2015-Skt.I dated 06.04.2021, it is hereby notified that the General Body in terms of Rule 4 of the MoA of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratisthan, Ujjain is hereby reconstituted for a period of 5 years with immediate effect. The composition of the General Body is as under:—

- | | | | | |
|----|-------|---------------|---|-------------------------|
| 1. | 4(i) | Chairman | - | Minister of Education |
| 2. | 4(ii) | Vice-chairman | - | Vice-Chairman of MSRVVP |

- | | | | | |
|-----|----------|---|---|---|
| 3. | 4(iv) | Five Members representing institutions engaged in traditional Vedic learning | - | i. Pandit K. Venkataraman Ghanapathi, Krishna Yajurveda Ghanapathi and Trusty Kashi Vishvanatha Trust, Varanasi, UP
ii. Pandit Vaikunthanatha Sharma, MSRVVP Veda Pathashala Bulandshahar, UP
iii. Pandit Uday Tammayya Vaidya, Rigveda Ghanapathi, Shri Rajarajeshwari Veda Pathashala, Swarnavalli Mutt, Uttara Kannada Dist. Karnatak
iv. Pandit Kuppa Shiva Subrahmanya Avadhani Ghanapathi, Krishna Yajurveda Ghanapathi and Principal, Dharmagiri Veda, Pathashala, TTD, Tirumala, Andhra Pradesh
v. Dr. Mahabaleshwar Bhat, Principal, Veda Vijnana Gurukulam Janaseva Trust, Bangalore, Karnataka |
| 4. | 4(v) | Four eminent Vedic Scholars | - | i. Prof. Rammurti Chaturvedi, Former Professor, Kashi Vidyapeetha, Varanasi, UP.
ii. Prof. Gopal Prasad Sharma, Professor of Veda, Madhyandina Shakha Traditional Ghanapathi, SLBSNS University, New Delhi
iii. Prof. S. Venugopalan, Professor of Sanskrit and Traditional Vedapathi, SASTRA University, Tanjore, Tamil Nadu
iv. Dr. Diwakar Mahapatra, Former Professor of Veda, SJSV, Puri and Kanva Shakha Traditional Veda Pathi, Puri Odisha |
| 5. | 4(vii) | Three representatives of the Government of India | - | i. Secretary, Department of Higher Education, M/o Education.
ii. Joint Secretary (L), Ministry of Education
iii. Joint Secretary & Finance Adviser, Ministry of Education |
| 6. | 4(viii) | Chairman T.T. Devasthanam Tirupati, or his nominee; | | |
| 7. | 4(ix) | Chairman of the Shankara Academy of Sanskrit, Culture and Classical Arts, New Delhi, or his nominee; | | |
| 8. | 4(x) | Chairman of the Chaturdham Veda Bhawan Nyas, Kanpur, or his nominee; | | |
| 9. | 4(xi) | Vice-Chancellor, Central Sanskrit University (earlier Rashtriya Sanskrit Sansthan), Delhi; | | |
| 10. | 4(xii) | Director, Vedic Sansodhan Mandal, Pune; | | |
| 11. | 4(xiii) | Secretary, Indira Kala Pratishthan/IGNCA, or his nominee; | | |
| 12. | 4(xiv) | One representative each of Shri Lai Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi and National Sanskrit University, Tirupati; | | |
| 13. | 4(xv) | Vice-Chancellors of Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University; Sampurnanand Sanskrit University; Jagannath Sanskrit University and Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, or their nominees; | | |
| 14. | 4(xvi) | Director, V. R. R. I. Hoshiarpur, or his nominee; | | |
| 15. | 4(xvii) | One representative of the Department of Culture, Government of India; | | |
| 16. | 4(xviii) | Secretary, Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan; | | |
| 17. | 4(xix) | Associate Members. | | |

GOVIND JAISWAL
Joint Secretary

No. 3-1/2026-Skt.I—The Governing Council in terms of Rule 11 of the MoA of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain is hereby reconstituted for a period of 5 years with immediate effect. The composition of the Governing Council is as under:—

- | | | | | |
|----|---------|---------------|---|-------------------------|
| 1. | 11(i) | Chairman | - | Minister of Education |
| 2. | 11(ii) | Vice-Chairman | - | Vice-Chairman of MSRVVP |
| 3. | 11(iii) | Secretary | - | Secretary of the MSRVVP |

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 4. | 11(v) | Two representatives of the Government of India, Department of Education | - | i. Joint Secretary (L), Ministry of Education
ii. Joint Secretary & Finance Adviser, Ministry of Education |
| 5. | 11(vi) | Two members nominated by the General Body | - | i. Pandit K. Venkataraman Ghanapathi, Trusty Kashi Vishvanatha Trust, Varanasi, UP
ii. Dr. Mahabaleshwar Bhat, Principal, Veda Vijnana Gurukulam Janaseva Trust, Bangalore, Karnataka |
| 6. | 11(vii) | Vice- Chancellor, Central Sanskrit University (erstwhile Director, Rashtriya Sanskrit Sansthan), Delhi | | |

GOVIND JAISWAL
Joint Secretary

No. 3-1/2026-Skt.I—The Finance Committee in terms of Rule 15 (iii) of the MoA of, Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain is hereby reconstituted for a period of 5 years with immediate effect. The composition of the Finance Committee is as under:—

- | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|
| 1. | 15(iii) (a) | Chairman | - | Vice-Chairman of Pratishthan |
| 2. | 15(iii) (b) | One representative of the Govt. of India, Deptt. of Education | - | Joint Secretary(L) |
| 3. | 15(iii) (c) | Financial Adviser of the Deptt. of Education, Govt. of India | - | Member |
| 4. | 15(iii) (d) | Two members nominated by the Governing Council out of its members | - | i. Pandit Venkataraman Ghanapathi, Trusty Kashi Vishvanatha Trust, Varanasi, UP
ii. Dr. Mahabaleshwar Bhat, Principal, Veda Vijnana Gurukulam Janaseva Trust, Bangalore, Karnataka |
| 5. | 15(iii) (f) | Secretary of the Pratishthan | - | Member Secretary |

GOVIND JAISWAL
Joint Secretary

New Delhi, the 9th July 2026

No. 10-4/2026-U.3(A)—Whereas, Malla Reddy (MR), Deemed to be University, Telangana submitted an online application on the UGC Portal for establishment of an off-campus centre at Krishnapuram Village, Renigunta Mandal, Tirupathi as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 41-5/2026 (CPP-I/DU) dated 12.05.2026, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Malla Reddy (MR), Telangana for fulfilment of certain conditions.

3. And whereas, the Ministry, on advice of UGC, issued letter of Intent (LoI) dated 01.06.2026 to Malla Reddy (MR), Deemed to be University, Telangana for fulfilment of certain conditions within a period of three years before establishment of an off-campus centre at Krishnapuram village, Renigunta Mandal, Tirupathi.

4. And further whereas, the Registrar, Malla Reddy (MR), Telangana, vide letter dated 02.06.2026, submitted the compliance report in respect of the conditions stipulated in the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. Further, UGC, vide letter dated 03.07.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Malla Reddy (MR), an Institution deemed to be University, Telangana to start an off-campus Centre at No. 6, Krishnapuram village, Renigunta Mandal, Tirupathi.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Malla Reddy (MR), Deemed to be University, Telangana.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002

AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

GORAKHA
NATH
YADAVA
Digitally signed
by GORAKHA
NATH YADAVA
Date: 2026.07.18
11:14:05 +05'30'